

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० म० पूनाचा): (क) पाँच ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

औद्योगिक विकास तथा समबाव-कार्य मंत्री (श्री फल्लरहीन अलौ अहमद) : (क) से (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत 1965-से 1967 की अवधि में कलकत्ता की ऐसी फर्मों से जो राजस्थान में उद्योग स्थापित करना चाहती हैं प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण नीचे दिया गया है :

Cement Corporation of India Ltd.

1311. SHRI LAKHAN LAL
KAPOOR:
SHRI RAM CHARAN:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Cement Corporation of India Ltd. has revised its policy of selling cement; and

(b) if so, the methods of granting licences to the selling agents?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

वर्ष	आवेदनों की संख्या	टिप्पणी
1965	6	लाइसेंस मंजूर किया गया—1 आवेदन नामंजूर किए गए—2 लाइसेंस से मुक्त वस्तुएं—2
1966	1	अस्वीकृत किया गया
1967	कुछ नहीं ।	कुछ नहीं

Electrification of Ernakulam-Trivandrum Railway line

1312. SHRI VISWANATHA MENON:
Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose to electrify the Ernakulam-Trivandrum railway line.

(b) whether Government have received any representation from any official body in this regard; and

(c) if so, the details of the electrification scheme?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No

(b) and (c). The feasibility of electrifying the Ernakulam-Trivandrum section was raised in the Informal Parliamentary Consultative Committee Meeting, held in November, 1966, at New Delhi. A preliminary investigation has revealed that the level of traffic does not justify the relatively

अजमेर डिब्बीजन में उच्च पदों पर काम कर रहे रेलवे अधिकारी

1310. श्री श्रीकार लाल बेरबा : क्या रेलवे मंत्री 22 दिसम्बर 1967 के अंतरांकित प्रश्न संख्या 5446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के अजमेर डिब्बीजन में तीन वर्षों से अधिक समय से उच्च पदों पर काम कर रहे अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान नियम किसी अधिकारी को किसी विशेष स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक काम करने की अनुमति नहीं देते; और

(ग) यदि हाँ, तो इन अधिकारियों के वहाँ पर बने रहने के क्या कारण हैं ?